राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

7 / 23, सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार (निकट डायल 100), लखनऊ–226002

Website-sudaup.org

पत्रांक : 319 / 40 / 76 / एक / 2024–25(ए0एच0पी0)

दिनांक: 24 अप्रैल, 2024

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

विषय– **प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिये आवास (शहरी मिशन) के उपघटक भागीदारी में किफायती आवास (ए0एच0पी0) के अन्तर्गत प्रथम एवं द्वितीय किश्त की धनराशि का प्रेषण।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं0 347 दिनांक 19 / 03 / 2024 एवं 4154 दिनांक 28.12.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिये आवास (शहरी) मिशन के उपघटक भागीदारी में किफायती आवास (ए0एच0पी0) के अन्तर्गत 31वीं सी.एस.एम.सी. में मधुवन बापूधाम पॉकेट–एफ परियोजना के 856 भवनों, 46वीं सी.एस.एम.सी. में श्रीराम नार्थ व्यू अपार्टमेंट परियोजना के 147 भवनों, 39वीं सी.एस.एम.सी. में खसरा नं0–1179 एण्ड 1180 परियोजना के 252 भवनों, 42वीं सी.एस.एम.सी. में रसूलपुर, सिक रोड़, गाजियाबाद के 789 भवनों तथा मिगशन अथर्व योजना, गाजियाबाद के 946 भवनों हेतु धनराशि प्राधिकरण के पक्ष में अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसके क्रम में केन्द्रांश / राज्यांश की प्रथम एवं द्वितीय किश्त अवमुक्त की जा रही है, वर्तमान में प्रथम / द्वितीय किश्त की धनराशि प्राधिकरण द्वारा जनपद पर खोला गया एस0एन0ए0 खाता जिसकी सूचना अभिकरण को उपलब्ध करायी गयी है में निम्न विवरणानुसार धनराशि अन्तरित की जा रही है:–

(धनराशि रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	योजना का नाम	आवासों की संख्या	किश्त का प्रकार	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि			बैंक का नाम	खाता संख्या
					केन्द्रांश	राज्यांश	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	गाजियाबाद	श्रीराम नार्थ व्यू अपार्टमेंट, गाजियाबाद	147	प्रथम	88,20,000.00	58,80,000.00	1,47,00,000.00	HDFC BANK GHAZAIBAD	50100494213753
2	गाजियाबाद	मधुवन बापूधाम पॉकेट–एफ	856	द्वितीय	39,00,000.00	26,00,000.00	65,00,000.00		
3	गाजियाबाद	खसरा नं0–1179 एण्ड 1180	252	द्वितीय	5,40,000.00	3,60,000.00	9,00,000.00		
4	गाजियाबाद	रसूलपुर सिक रोड	789	द्वितीय	22,80,000.00	15,20,000.00	38,00,000.00		
5	गाजियाबाद	मिगशन अथर्व योजना	946	द्वितीय	21,00,000.00	14,00,000.00	35,00,000.00		
		योग			**1,76,40,000.00**	**1,17,60,000.00**	**2,94,00,000.00**		

अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग निम्न बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये ही किया जाये।

1– अवमुक्त की जा रही अनुदान की धनराशि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिये आवास (शहरी) मिशन योजनान्तर्गत मार्च 2015, मार्च 2016 एवं समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुरूप तथा निर्धारित शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन ही नियमानुसार उपयोग किया जाये।

2– प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिये आवास (शहरी) मिशन के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या 162 / 2016 / 623 / 69–1–16–14(139) / 2015 टीसी दिनांक 21 मार्च 2016 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3– योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद में धनराशि अवमुक्त की जा रही है किसी भी दशा में व्ययवर्तन मान्य नही होगा तथा धनराशि का उपयोग किये

जाने के उपरान्त भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण को प्राथमिकता पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रारूप प्रपत्र पत्र के साथ संलग्न है एवं सूडा की वेबसाइड पर भी अपलोड है।

4— **उपरोक्तानुसार अवमुक्त की जा रही धनराशि का वर्गवार स्वीकृत आवासों की अंकित संख्या के क्रम में धनराशि के उपयोग का भी ध्यान रखा जाये तथा वर्गवार (सामान्य वर्ग, अनुसूचित वर्ग एवं अनु0जनजाति वर्ग) का प्राधिकरण के अभिलेखों में लेखांकन भी कराने का कष्ट करें ।**

5— केन्द्रांश व राज्यांश की अवमुक्त की जाने वाली धनराशि रेरा अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार खाते में रखी जाये । इसके अतिरिक्त लाभार्थियों से प्राप्त की जाने वाली लाभार्थी अंशदान की धनराशि भी रेरा नियम के अन्तर्गत नियमानुसार उक्त खाते में रखा जाना सुनिश्चित करें ।

6— योजना की भागीदारी में किफायती आवास (ए0एच0पी0) घटक के दिशा—निर्देश की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न ।

7— निर्माण कार्य में पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जायें एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता/पुरातत्व विभाग आदि के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये ।

8— निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत किया जाये ।

9— निमार्ण कार्य से सम्बन्धित भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की श्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा ।

10— भारत सरकार के पत्रांक 17024/85/2018—एचएफए—आई—यूडी(एमटीएस—9043397) दिनांक 05.07.2018 के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि संस्था को अवमुक्त धनराशि पर प्राप्त व्याज को किसी भी दशा में व्यय न किया जाये अन्यथा योजनान्तर्गत अग्रेतर अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में व्याज की धनराशि को समायोजित कर लिया जायेगा। अतः प्रत्येक तिमाही बचत खाते में प्राप्त व्याज की धनराशि को निर्धारित केन्द्रांश/राज्यांश के अनुपात में विभाजित करते हुए अभिकरण का योजनान्तर्गत भारत सरकार के पोर्टल पर पंजीकृत बचत खाता सं0 50100464692220 आईएफएससी कोड HDFC0000078, एचडीएफसी बैंक, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ में पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से प्रेषित कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(संजीव गुप्ता)
वित्त नियन्त्रक

(डॉ0 अनिल कुमार)
निदेशक

<u>पत्रांक एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि—

1— संयुक्त सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली, भारत सरकार।

2— अधिशाषी निदेशक आवास बन्धु प्रथम तल, जनपद मार्केट, लखनऊ।

(संजीव गुप्ता)
वित्त नियन्त्रक